न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना जिला बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान आर0ए0एस0

राजस्व आवेदन संख्या 79 /2021

प्रार्थीगण :-

1. लेहरोदेवी पत्नी नारायण जाति कलबी चौधरी निवासी भाटी खेडा मेली तहसील सिवाना जिला बाडमेर
2. मथरादेवी पत्नी देवाराम जाति कलबी चौधरी निवासी भाटी खेडा मेली तहसील सिवाना जिला बाडमेर

विप्रार्थीगण:-

1. पारसमल पुत्र जवानाराम
2. मुकेश पुत्र जवानाराम
3. मदनलाल पुत्र जवानाराम
4. सुरेश पुत्र जवानाराम
5. हरचन्द पुत्र जवानाराम
6. शांतादेवी पत्नी जवानाराम जातियान राजपुरोहित निवासीगण भाटी खेडा मेली तहसील सिवाना जिला बाडमेर राज.
7. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना
8. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई.कृषि विकास शाखा सिवाना

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

उपस्थिति:-

1. श्री कपिल श्रीमाली अधिवक्ता प्रार्थीगण

आदेश

दिनांक:-16.08.2021

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व की धारा 131-136 के तहत विप्रार्थीगण के विरूद्व पेश किया गया प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजाा भाटी खेडा पटवार हल्का मेली में खातेदारी खेत खसरा संख्या 343 रकबा 09.16 बीघा (हैक्टयर 2.4787) की भूमि आई हुई है जो भूमि जवानाराम पूनमा पि. लच्छा व तारा बेवा लच्छा के नाम दर्ज थी। जवानाराम के मृत्यु होने से उसके 1/3 हिस्से [illegible] संख्या 01 ता 06 काबिज है तथा लच्छाराम की मृत्यु [illegible] पत्नी तारा देवी काबिज हुये जिनके [illegible] रा अपना [illegible] को व [illegible] हिस्सा प्रार्थीनी मथरा को जरिये पंजीबद्व बेचान व [illegible] भूमि नामान्तरकरण संख्या 147 व 233 के जरिए प्रार्थीगण के नाम दर्ज किए गए नामान्तरकरण दर्ज किए जाते वक्त बेचान दस्तावेज में दर्ज हक हिस्से को राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं किया जाकर मात्र खरीदकर्ता का नाम ही दर्ज कर दिया गया। कुछ वर्ष पूर्व सरकार द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.11.14 17:41:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

राजस्व रेकर्ड में खातेदारो के हक हिस्से अलग-अलग करने का अभियान सेग्रीगेशन के जरिए चलाए गया पटवारी हक्ल द्वारा गलत तरीके से प्रार्थीगण की हिस्सेदारी प्रत्येक की 1/3 की जगह गलत तरीके से 1/4 हिस्सा दर्ज कर दी गई। जिसका ज्ञान हाल मे पैमाईश करवया जाने के वक्त होने पर प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार सिवाना को प्रार्थना पत्र पेश कर शद्वि करने का निवेदन किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट भी पेश की गई मगर क्षेत्राधिकारी नही होने से तहसीलदार सिवाना द्वारा न्यायालय श्री के जरिए शुद्विकरण करवाए जाने के निर्देश दिए जिससे उक्त प्रार्थना पत्र अज अदालत में पेश किया गया।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण के जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण का नेटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा तामिलसुदा प्राप्त बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से विप्रार्थीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई । तहसीलदार सिवाना द्वारा पत्रांक भू.अ./ 2020/ 1790 दिनांक 25.09.2020 के द्वारा मौका रिपोर्ट प्रेषित।

प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई ।

हमने पत्रावली का अवलोकन व गहनता से मनन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात व तहसीलदार सिवाना से प्राप्त रिपोर्ट का गंभीरता से अध्ययन किया गया। दस्तावेजात के अध्ययन व तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट भू.अ./2021/1954 दिनांक 04.08.2021 के द्वारा ज्ञात होता है कि मौजा भाटीखेडा पटवार मण्डल मेली के खेत खसरा संख्या 343 खाता संख्य 48 संवत् 2064 से 2067 में जवाना पूनमा पि.लच्छा मु. तारा बेवा लच्छा कौम पुरोहित दर्ज है इस प्रकार जवाना 1/3 पूनमा 1/3 व तारा 1/3 हिस्सा बनता है। ना.क.स. 147 दिलरंक 05.09.2006 की स्वीकृति अनुसार(बेचान) तारो 1/3 के स्थान पर मथरादेवी पत्नी देवाराम कौम चौधरी दर्ज किया गया। इस प्रकार मथरादेवी का हिस्सा 1/3 बनता है ना.क.स. 233 दिनांक 20.12.08 की स्वीकृति अनुसार (बेचान) पुनमा पुत्र लच्छा 1/3 के स्थान पर लेहरोदेवी पत्नी नारायणराम दर्ज किया। इस प्रकार लेहरोदवी के हिस्सा 1/3 बनता है जबकि सेग्रीगेशन जमाबंदी में लेहरोदेवी का हिस्सा 1/3 के स्थान पर 1/4 दर्ज किया गया । इण्डिया नेशनल लैण्ड रिकार्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अन्तर्गत तहसील सिवाना के समस्त राजस्व जमाबन्दी खातों का सेग्रीगेशन करते हुए खातेदारों का हिस्सा दुरूस्त किये जाते समय हल्का पटवारी द्वारा सहवन से लिपिकीय त्रृटि वश लहरोदेवी पत्नी नारयण का हिस्सा वादग्रस्त आराजी में 1/3 के स्थान पर 1/4 हिस्सा व मथरा देवी पत्नी देवाराम का हिस्सा 1/3 के स्थान पर 1/4 हिस्सा दर्ज कर दिया गया। जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तहसीलदार सिवाना द्वारा उक्तानुसार हिस्सा दुरूस्त करने की अनुशंषा भी की

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाडमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.11.14 17:41:12 IST
Reason: SelfAttested

गई है। यदि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकर किया जाता है तो विप्रार्थीगण के हक हिस्से पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न हीं पडेगा।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जमाबन्दी संवत् 2071–2074 में सरहद मौजा भाटीखेडा पटवार मण्डल मेली के खेत खसरा संख्या 343 रकबा 2.4787 हैक्टयर भूमि में पारसमल पुत्र जवानाराम का 1/18 हिस्सा,मुकेश पुत्र जवानाराम का 1/18 हिस्सा, मदनलाल पुत्र जवानाराम का 1/18 हिस्सा, शान्तीदेवी पत्नी जवानाराम का 1/18 हिस्सा, सुरेश पुत्री जवानाराम का 1/18 हिस्सा, हरचन्द पुत्र जवानाराम का 1/18 हिस्सा मथरादेवी पत्नी देवाराम का 1/3 हिस्सा व लेहरोदेवी पत्नी नारायणराम का 1/3 हिस्सा दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार सिवाना आदेशानसार राजस्व रेकर्ड मे अमलदरामद करे। पत्रावली फैसल सुमार हो। खर्चो पक्षकारन अपना–अपना वहन करे।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना
सिवाना (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 16.08.2021 को खुले न्यायालय में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.11.14 17:41:12 IST
Reason: SelfAttested